

आदेश की तिथि	आदेश	कार्रवाई के बाद दिखनी तारीख साथ
24.07.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अगली तिथि 05.08.2017 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 05.08.2017 को उपस्थापित करें। <i>Beur</i> भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
05.08.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 654 दिनांक 02.08.2017 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। जांच प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर से स्पष्ट जांच प्रतिवेदन की मांग दिनांक 12.09.2017 तक करें। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को इस कार्यालय के पत्रांक 225/रा0न्या0 दिनांक 18.08.2017 से संशोधित जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। अभिलेख 12.09.2017 को उपस्थापित करें। <i>Beur</i> भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
12.09.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अगली तिथि 18.10.2017 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 18.10.2017 को उपस्थापित करें। <i>Beur</i> भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
18.10.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अगली तिथि 29.11.2017 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 29.11.2017 को उपस्थापित करें। <i>Beur</i> भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
29.11.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अगली तिथि 19.12.2017 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 19.12.2017 को उपस्थापित करें। <i>Beur</i> भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
19.12.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अगली तिथि 12.01.2018 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 12.01.2018 को उपस्थापित करें। <i>Beur</i> भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
12.01.2018	अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 10 दिनांक 04.01.2018 द्वारा दिनांक 12.01.2018 को संशोधित जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक 1. श्री हिरा लाल महतो, 2. संतोष महतो, दोनों के पिता स्व0 अभिनाथ महतो, ग्राम-धातकीडीह, वार्ड सं0-15, पोस्ट-चक्रधरपुर, थाना-चक्रधरपुर, जिला प0 सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की	